Permission. Hanuman Murti to Kashipur Tiraha.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

मुरादाबाद

पत्रांक : 1429 / अनुमति–प्रा0 / 20 दिनॉक : 18.6.2020

सेवा में,

प्रबन्धक
टोरेंट गैस प्रा0लि0,
मुरादाबाद।

विषय :– **पुराना एन0एच0–24 के चैनेज 160.050 से 164.100 कि0मी0 कुल लम्बाई 4.050 कि0मी0 में गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक–TGPL/GA83/2019-20/MB/12 Dated 05-06-2020**

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु टोरेंट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रॉक :–697 / प्रा0 दिनॉक :– 17–02–2020 द्वारा जारी किये गये मॉंग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू0 1092592.00 (दस लाख बयानवे हजार पॉस सौ बयानवे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या–006165 दिनांक 05.06.2020 एवं रू0 4050.00 (चार हजार पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या–006166 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	*2*	*3*
1	पुराना एन0एच0–24 के चैनेज 160.050 से 164.100 कि0मी0 कुल लम्बाई 4.050 कि0मी0	4.050

प्रतिबन्ध यह है कि :–

1. गैस पाइप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
2. गैस पाइप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ (इंटरलॉकिंग टाईल्स) को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
3. रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना / हादसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग / एजेन्सी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय / ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
6. मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट / ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रासिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
7. भविष्य में मार्ग के चौडीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाईप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुरुप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये।

संलग्नक :– प्रकरण मूल में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

पत्रांक : / अनुमति–प्रा0 / 20 दिनॉक :

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता–षष्ठम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED 12/2